## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3255–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–8–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 64/2013–14/अपील.

---

सियाराम पुत्र राजाराम
निवासी चार शहर का नाका, लश्कर
रानीपुरा ग्वालियर
द्वारा (माहर सिंह सिकरवार के मकान के पास)
ग्वालियर .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– रामबाबू पुत्र स्व. श्री राजाराम किरार
2– लाखन सिंह पुत्र स्व. श्री राजाराम किरार
3– जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामबाबू
निवासीगण ग्राम बहादुर
परगना व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण
4– कमल सिंह पुत्र पुत्र स्व. श्री राजाराम किरार .....फॉर्मल पक्षकार
5– प्रकाश पुत्र पुत्र स्व. श्री राजाराम किरार
निवासीगण ग्राम बहादुर
परगना व जिला ग्वालियर
6– श्रीमती रामबाई उर्फ रामप्यारी पत्नी अयोध्या सिंह
निवासी घासमण्डी, ग्वालियर
धर्मशाला के पास, प्रमोद टेण्ट हाउस

---

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री शंकर सिंह तोमर, अभिभाषक,अनावेदक क्र. 1 से 3

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 23–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 23 पर पारित आदेश दिनांक 30–9–08 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 6–6–11 को लगभग ढ़ाई वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा किए जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–9–13 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील अवधि बाह्य होने से अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–8–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23–9–13 निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए 1 सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, परन्तु आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फौती नामांतरण में यह माना जाता है कि सभी पक्षकारों को नामान्तरण आदेश की जानकारी हो चुकी है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि सभी को प्राप्त हुई है । अतः अनावेदकगण को प्रारंभ से ही तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी रही है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधनिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा लगभग दो वर्ष छः माह का विलम्ब क्षमा करने में गंभीर अनियमितता की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि तहसीलदार के आदेश की जानकारी शुरू से ही अनावेदकगण को रही है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, उसी दिनांक 24–5–11 को खसरे की नकल की आवश्यकता क्यों हुई, यह भी नहीं बतलाया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि आवेदक द्वारा गोपनीय तरीके से दिनांक 25–3–08 को अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 की जानकारी के बिना नामांतरण करा लिया गया था, जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 को दिनांक 27–5–11 को हुई है । अतः उनके द्वारा जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील समय–सीमा में मान्य करने का आदेश देने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया गया है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का स्वत्व था, परन्तु उन्हें बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किय गया है, इस कारण तहसीलदार का आदेश अवैध होने से परिसीमा लागू होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसों को व्यक्तिशः सूचना दी गई है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में संहिता की

धारा 109/110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 27 का पालन नहीं किया गया है । चूंकि अनावेदकगण को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की सूचना नहीं थी, अतः उनके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । सामान्यतः जब तक प्रकरण प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब नहीं हो, तब तक समय–सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर आदेश पारित नहीं किया जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाना चाहिए ताकि पक्षकार को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील समय–सीमा में मान्य करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायोचित कार्यवाही की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर 23–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर